

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना

सं0सं0-2/परी0-09 (को0प्र0)-02/2019-1572

प्रेषक,

अवर सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी समाहर्ता,
बिहार।

पटना, दिनांक-20-08-2019

विषय:- राजपत्रित पदाधिकारियों के दो सप्ताह से कम अवधि के कोषागार प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विगत कुछ दिनों में ऐसा पाया गया है कि कतिपय समाहर्ता द्वारा पदाधिकारियों के दो सप्ताह से कम अवधि के प्रमाण-पत्रों को भी राजस्व पर्षद, बिहार, पटना को प्रेषित कर दिया जाता है।

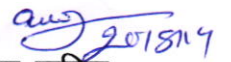
विदित हो कि केन्द्रीय परीक्षा समिति राजस्व पर्षद, बिहार के अद्यतन निर्णयानुसार कम से कम दो सप्ताह के प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों को ही राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा स्वीकृति प्रदान किया जाना है। कोषागार प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों में दो सप्ताह का स्पष्ट उल्लेख नहीं रहने के कारण प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र को स्वीकृति प्रदान करने में व्यवहारिक कठिनाई होती है तथा स्वीकृति प्रदान किये जाने में अनावश्यक समय व्यतीत होता है।

अतः अनुरोध है कि दो सप्ताह से कम अवधि के प्रमाण-पत्रों को राजस्व पर्षद, बिहार, पटना में प्रेषित नहीं किया जाय एवं प्रमाण-पत्र में तिथि के साथ-साथ दो सप्ताह प्रशिक्षण प्राप्त रहने का उल्लेख अवश्य किया जाय।

यदि किसी सेवा के पदाधिकारियों के दो सप्ताह से कम अवधि के प्रमाण-पत्रों को राजस्व पर्षद, बिहार की स्वीकृति प्रदान किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है तो उस सेवा के नियंत्री विभाग द्वारा इस आशय का पूर्व अनुमोदन केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, बिहार से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

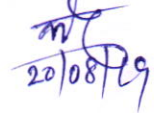
कृप्या तत्काकल प्रभाव से अनुपालन सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन



अवर सचिव,

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।


20/08/19